



0522-2286709-10

फैक्स-2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण
 नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
 website-www.upsuda.org

पत्रांक-५६० / 241 / NULM / तीन / 2014 (SEP)

दिनांक- ०५/११/१५

सोवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त / परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली,
गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।
3. परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर
लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ,
बहराइच, बलिया, बांदा, बरती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्भल, चौहानी, शिकोहाबाद, मुगलसराय,
बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा,
हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज,
मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहापुर, शामली,
सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरेया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम
कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कल्लौज, पड़रौना (कुशीनगर), महोबा, भूंक,
प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, राबूटरागंज (सोनभद्र) / अमेठी,
झानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंडानपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा
(श्रावस्ती)।

विषय : एन०य०एल०एम० के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम (एस०ई०पी०) के अन्तर्गत गठित टारक फोर्स
में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत
शहरी गरीबों को व्यक्तिगत और सामूहिक बैकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने हेतु लाभार्थियों के
चयन हेतु शहर/नगर निकाय स्तर पर टारक फोर्स के गठन हेतु सूडा के पत्रांक-
567 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP), दिनांक 05.06.2014 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये
हैं। उक्त निर्देश में सूडा के पत्रांक- 2052 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SEP), दिनांक 13.08.2015
द्वारा टारक फोर्स में संशोधन किया गया है।

शहर में शहर मिशन प्रबंधकों के नियुक्ति होने के परिप्रेक्ष्य में स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत
गठित टारक फोर्स में संशोधन किया जा रहा है जोकि निम्नवत है:-

क्र० सं०	पदनाम	सदस्यता
1	परियोजना निदेशक, दूड़ा / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सी०पी०ओ०)	अध्यक्ष
2	लीड जिला प्रबंधक (एल०डी०एम०)	सादर्य

3	महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी०)	सदस्य
4	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत	सदस्य
5	परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, दूडा	सदस्य संयोजक
6	शहर मिशन प्रबंधक (Financial Inclusion & Micro Enterprises प्रबंधक जहाँ पर Financial Inclusion & Micro Enterprises प्रबंधक नहीं है वहाँ पर सामाजिक विकास अवस्थापना प्रबंधक सदस्य होंगे)	सदस्य
7	वरिष्ठ बैंक प्रबंधक (अधिकतम-2)	सदस्य
8	प्रतिनिधि एरिया लेवल फेडरेशन / सिटी लेवल फेडरेशन (अधिकतम-2)	सदस्य

उपरोक्तानुसार टास्क फोर्स को संशोधन करते हुए लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

रूडा के पत्रांक-567/241/NULM/तीन/2001(SEP), दिनांक 05.06.2014 को इस सीमा तक संशोधित रामङ्गा जाये, शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

(शीलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
3. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, दूडा को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. सहायक वेबमास्टर, सूडा को ई-मेल से प्रेषण एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शीलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक